

**IN THE COURT OF NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

I.A. NO..... of 2023

IN

O.A. NO. 399 OF 2022



Ram Ekbal Rai ----- **Applicant**

Versus

The State of Bihar and others ----- **Respondents**

I N D E X

Sl No.	Particulars	Pages
01.	An application under Order-1 Rule-10 of the Code of Civil Procedure, 1908 read with Section 19 (4) of the National Green Tribunal Act, 2010 with affidavit and I.D. Proof .	01 to 12
02.	Annexure-1:- Copies of application for grant of license dated 07.09.2002 to 18.02.2023.	13-37
03.	Annexure-2 : A copy of order of Hon'ble Supreme Court dated 05.10.2015.	38-45
04.	Annexure-3 :- A copy of decision of SLC dated 21.07.2020	46-48
05.	Vakalatnama	

 GOVERNMENT OF BIHAR e-Court Fee	
DATE & TIME :	29-APR-2023 13:11:16
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :	THE BIHAR STATE COOPERATIVE BANK LIMITED
LOCATION :	HIGH COURT PATNA
e-COURT RECEIPT NO :	BRCT2913D2311N094
e-COURT FEE AMOUNT :	₹ 50 (Rupees Fifty Only)
 BRCT2913D2311N094	
Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shollestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.	

IN THE COURT OF NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
I.A. NO..... of 2023

Filed by
Vijay Mishra
Advocate
App N.00798
29-4-2023.

IN

O.A. NO. 399 OF 2022

In the matter of an application under Order-1 Rule-10 of the Code of Civil Procedure, 1908 read with Section 19 (4) of the National Green Tribunal Act, 2010

And

In the matter of ;

Ram Ekbal Rai, son of Late Shigheshwar Rai, Resident of Village-Bhataulia, P.S.-Motipur, District-Muzaffarpur (Bihar)

----- **Applicant**

Versus

1. **The State of Bihar** through the Chief Secretary, Government of Bihar, Patna.
2. **The Principal Secretary**, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar, Patna.
3. **The Chairman**, State Level Committee for Wood-Based Industries-cum- **Principal Chief Conservator of Forest**, Bihar, Patna.

P-12
A 13-48
J. K. R. R.
29.4.23

4. **The Licensing Officer-Cum-Divisional Forest Officer**, Aurangabad Forest Division, Aurangabad (Bihar).
5. **The Licensing Officer-Cum-Divisional Forest Officer**, Patna Forest Division, Patna (Bihar).
6. **The Licensing Officer-Cum-Divisional Forest Officer**, Bhojpur Forest Division, Ara (Bihar).
7. **Binod Mistri**, aged about 55 years, son of Late Rampati Mistri, Resident of Village-Kurtha, P.S.-Kurtha, Districtpati M -Arwal, Bihar.
8. **Ramji Mistri**, aged about 36 years, son of Ram Ekbal Mistri, Resident of Village-Kurtha, P.S.-Kurtha, District-Arwal, Bihar.
9. **Raj Kishore Mistri**, aged about 32 years, son of Binod Mistri, Resident of Village-Kurtha, P.S.-Kurtha, District-Arwal, Bihar.
10. **Balmiki Mistri**, aged about 29 years, son of Late Ram Baran Mistri, Resident of Village-Kurtha, P.S.-Kurtha, District-Arwal, Bihar.
11. **Ranjeet Mistri**, aged about 26 years, son of Ram Swaroop Mistri, Resident of Village-Kurtha, P.S.-Kurtha, District-Arwal, Bihar.

12. **Munna Mistri**, aged about 40 years, son of Late Shatrudhan Mistri, Resident of Village-Kurtha, P.S.-Kurtha, District-Arwal, Bihar.
13. **Sriram Mistri**, aged about 38 years, son of Late Shatrudhan Mistri, Resident of Village-Kurtha, P.S.-Kurtha, District-Arwal, Bihar.
14. **Arun Mistri**, aged about 39 years, son of Sidheshwar Mistri, Resident of Village-Kurtha, P.S.-Kurtha, District-Arwal, Bihar.
15. **Surendra Mistri**, aged about 39 years, son of Ram Jatan Mistri, Resident of Village-Kurtha, P.S.-Kurtha, District-Arwal, Bihar.
16. **Akhilesh Kumar**, aged about 28 years, son of Bhuneshwar Mistri, Resident of Village- Paliganj, P.S.-Paliganj, District-Patna, Bihar.
17. **Sanjay Mistri**, aged about 44 years, son of Mahendra Mistri, Resident of Village-Bherharia English, P.S.-Paliganj, District-Patna, Bihar.
18. **Vijay Kumar Sharma**, aged about 47 years, son of Late Hari Charan Sharma, Resident of Village-

Bherharia English, P.S.-Paliganj, District-Patna,
Bihar.

19. Suresh Sharma, aged about 50 years, son of Late Rajeshwar Mistri, Resident of Village- Khaira, P.S.-Sahar, District- Bhojpur, Bihar.
20. Surendra Mistri, aged about 46 years, son of Late Rajeshwar Mistri, Resident of Village- Khaira, P.S.-Sahar, District- Bhojpur, Bihar.
21. Rakesh Kumar Sharma, aged about 26 years, son of Surendra Sharma, Resident of Mohalla-Gorhna Road, Anaith, Ara, P.S.-Nawada, District-Bhojpur, Bihar.
22. Asha Devi, aged about 36 years, wife of Naresh Kumar Sharma, Resident of Village-Khatangi, P.S.-Kurtha (Banshi O.P.), District-Arwal.
23. Rahul Kumar, aged about 32 years, son of Late Umesh Vishwakarma, Resident of Village-Bhagwanganj, P.S.-Bhagwanganj, District- Patna

-----**Respondents**

The humble petition on behalf of
the Respondent No. 7 to 23
above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:

1. That through the present application the applicants seek following **RELIEFS** :-

- i) For directing the Respondent No.3 - SLC to grant approval to the Licensing Officers to grant new saw mill license to the Respondent No. 7 to 23 for operation of saw mill on the basis of the decision of the SLC dated 21.07.2020 which has been taken in terms of the order dated 05.10.2015 passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 202 of 1995.
- ii) For directing the Respondents not to interfere the operation of saw mills of the applicants till such time the application for grant of new saw mill license is refused in the facts and circumstances of the case.

3. That the State Government brought in separate enactment to regulate the saw mills and the Government of Bihar enacted Bihar Saw Mills (Regulation) Act, 1990 and in terms thereof Bihar Saw

Mills (Regulation) Rules,1993 were framed and the same came into effect on 04.09.1993.

4. That by profession the Respondent No.7 to 23 are small carpenter and they are engaged in manufacturing of wooden furniture. Needless to state that the furniture work is the traditional occupation of the applicants and the same is the only means of their livelihood.
5. That the Respondent No. 7 to 23, in terms of Bihar Saw Mills (Regulation),1993, applied for grant of license for operation of saw mill which is described hereunder:-.

Name of the applicants	Date of application for grant of license	District
Binod Mistri	07.09.2002	Arwal
Raj Kishore Mistri	11.01.2021	Arwal
Ramji Kumar	06.01.2021	Arwal
Balmiki Mistri	11.01.2021	Arwal
Munna Mistri	11.01.2021	Arwal
Sri Ram Mistri	20.03.2023	Arwal
Akhilesh Kumar	16.10.2020	Patna

Vijay Kumar Sharma	20.02.2023	Patna
Suresh Sharma	20.02.2023	Bhojpur
Surendra Sharma	20.02.2023	Bhojpur
Rakesh Kumar Sharma	20.02.2023	Bhojpur.
Harkesh Kumar Sharma	20.02.2023	Bhojpur
Mamta Devi	20.03.2023	Arwal
Asha Devi	23.03.2023	Arwal

Copies of application for grant of license are annexed herewith and marked as **Annexure-1** to this application.

6. That the Respondent No. 7 to 23 submit that various I.A. applications were filed before the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 202 of 1995. The matter was taken up and after hearing the parties the Hon'ble Supreme Court was pleased to disposed of the aforesaid applications vide its order dated 05.10.2015 that the State Level Committee for Wood-Based industries ("SLC") are, subject to the compliance of the prescribed guidelines and

procedure, authorized to take decisions regarding the grant of license/permission to the wood-based industries.

A copy of order dated 05.10.2018 is annexed herewith and marked as **Annexure-2** to this petition.

7. That the Government of India has framed a guidelines on 11.11.2016 as Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 in which it is provided under Section 8 (i) that "No license to a Wood-Based Industrial Units shall be granted or renewed without obtaining prior approval of the State Level Committee". .
8. That the State of Bihar vide Memo No. 769 dated 28.02.2017 constituted six members of State Level Committee under the Chairmanship of Principal Chief Conservator of Forest, Bihar regarding the grant of license/permission to the wood-based industries.

9. That the SLC has taken a decision on 21.07.2020 that **3200** saw mills are allowed to run in the state of Bihar. Needless to state that there are **2272** licensed saw mills existing and about **1000** new saw mills license have to be granted in the of Bihar.

A copy of decision of SLC dated 21.07.2022 is annexed herewith and marked as **Annexure-3** to this petition.

10. That the Respondent No. 7 to **23** humbly submit that they have filed an application for grant of new saw mills license on the basis of the decision of the SLC dated 21.07.2020 in which about 1000 new saw mills license have to be granted in the State of Bihar. Since the application for grant of license is still pending for considering before the Licensing Officers.
11. That the Respondent No. 7 to **23** submit that they are engaged in ordinary operation of carpentry. Thus the Respondents are entitled for new saw mills license for their livelihood in the aforesaid facts and circumstances of the case.

PRAYER

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application, issue notice to the Respondents and after hearing the parties be pleased to allow the reliefs prayed for in para-1 to this application in the aforesaid facts and circumstances of the case.

And / Or

Pass such other order(s) or direction(s) as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

AND FOR THIS THE APPLICANTS SHALL EVER PRAY.

Filed by
Vijay Mishra
Advocate
AURM 00 798
M- 8987041352.

AFFIDAVIT

I, **Suresh Sharma**, aged about 50 years, son of Late Rajeshwar Mistri, Resident of Village- Khaira, P.S.- Sahar, District- Bhojpur, Bihar, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the Applicants No. 19 of this application and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same.
3. That the statements made in this application are true to my knowledge and beliefs.
4. That the annexures are true copies of their respective original.

62779

S. Sharma

Solemnly Attested before me
Who is identified by.....
have satisfied myself by examining the
deponent that he understand the
contents of the affidavit which has been
read over & explained to the which
acknowledges to be correct.
Date.....

Advocate Oath Commissioner
PATNA HIGH COURT

D.N.P. Saha
29.4.23
D.N.P. Saha
D.N. 1286/23
29.4.23

319

12

संघीय सरकार
Government of India



सुरेश शर्मा
SURESH SHARMA
जन्म तिथि/DOB: 25/03/1975
पुरुष MALE



5488 0156 2778

मेरा आधार, मेरी पहचान

संघीय पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Address:
S/O Rajeshw Sharma
Dhauri, Bhojpur.
Bihar - 802208

पता:
S/O राजेश्वर शर्मा, ... शहरी
भोजपुर,
बिहार - 802208

5488 0156 2778

सुरेश शर्मा

प्रपत्र-क

(नियम 3(2) देखिये)

नई आरा मिल/आरा गड्ढा स्थापित करने तथा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन।

1. आवेदक का नाम उनके पिता का पूरा नाम : रामजी कुमार
(कम्पनी के मामले में भागीदारी तथा कंपनी की ओर से कार्य करने के लिए पॉवर ऑफ एटर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम दीजिए) : पिता - रामशुक्ल मिस्त्री
मे. श्री विश्वकर्मा फर्निचर एंड
2. व्यवसाय : लकड़ी चिराई एवं खरीद-बिक्री
2. पूरा पता : बौनीपुर कुर्था थाना-कुर्था
जिला - झरखण्ड।
4. आरा मिल/आरा गड्ढे की प्रस्तावित स्थिति के व्यौरे (स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जाये) :
5. यदि आवेदक पूर्व में ही आरा मिल/आरा गड्ढे का स्वामित्व रखता हो तथा चला रहा हो : नहीं
6. यदि (5) का उत्तर हाँ में हो तो आरा मिल/आरा गड्ढे के व्यौरे दीजिए :
क- आरा मशीन का मेक तथा वर्ष :
ख- आरा मशीन का क्रमांक :
ग- गतिदायी शक्ति (मोटिवफोर्स) तथा उसकी अश्व शक्ति :
घ- मासिक क्षमता :
ड- कोई अन्य जानकारी :
7. स्थापित की जानेवाली आरा मिल/आरा गड्ढे की मासिक क्षमता : 300 प्वन फुट
8. काष्ठ की प्रजाति जिसकी सामान्यतः चिराई की जायेगी : आम, शीशम, महुआ, साल
9. काष्ठ का स्रोत जहाँ से प्राप्त किया जायेगा : सरकारी डिपो, रैवती खेडि से
10. कालावधि जिसमें आरा मिल/आरा गड्ढा स्थापित किया जायेगा :
11. स्थापित की जाने वाली आरा मिल के व्यौरे : 2, एक ड्रॉल्मी एवं एक
क- आरा मशीनों की संख्या : वॉण्डर सी।
ख- गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा उसकी अश्व शक्ति : 10 अश्व. पी.
ग- कोई अन्य जानकारी :
12. कोई अन्य क्रियाकलाप जो आरा मिल/आरा गड्ढा में किये जाने के लिए प्रस्तावित है :
13. आवेदन फीस के भुगतान एवं साक्ष्य : रु. 1000/- डी.डी. सं. 48766
14. प्रतिभुति निक्षेप के भुगतान का साधन : दिनांक 6-1-2021

रु. 2000/- डी.डी. सं. 48766
दिनांक 6-1-2021

घोषणा

मैं/हम रामजी कुमार एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं/हमने बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को पढ लिया है तथा समझ लिया है, और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तारीख : 11-1-2021

रामजी कुमार
आवेदक का हस्ताक्षर

नई आरा मिल/आरा गडढा स्थापित करने तथा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन।

- 1 आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम (कम्पनी के मामले में भागीदार तथा पावर ऑफ एटर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों) के नाम श्री राम मिस्त्री
पिता- रामस्वरूप मिस्त्री
- 2 व्यवसाय - लकड़ी चिराई - खरीद-बिक्री में श्री राम साँ मील
ग्राम- कुर्था, थाना- कुर्था
- 3 पूरा नाम जिला - अखिल ।
- 4 आरा मिल/ आरा गडढा की प्रस्तावित स्थिति के ब्योरे (स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जायें) - नही
- 5 यदि आवेदक पूर्व में ही आरा मिल/आरा गडढे का स्वामित्व रखता हो तथा चला आ रहा हो
- 6 यदि भूमि (5) का उत्तर हाँ तो आरा मिल/आरा गडढे के ब्योरे दिजिए।
(क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष
(ख) आरा मशीन का क्रमांक-
(ग) गतिदायी शक्ति (मोटिवफोर्स) तथा उसकी अश्व शक्ति
(घ) मासिक क्षमता
(ङ) कोई अन्य जानकारी
- 7 स्थापित की जाने वाली आरा मिल/ आरा गडढा - 300 घनफुट की मासिक क्षमता (अनुमानित)
- 8 काष्ठ की प्रजातियाँ जिनकी सामान्यतः चिराई की जाती है आम, शीशम, सौंठ, महुआ भादि।
- 9 काष्ठ का श्रोत जहाँ से प्राप्त किया जायेगा - झैयती, टीन्की & सरकारी पर्वतों से।
- 10 कालावधि जिसमें आरा मिल/आरा गडढा स्थापित किया जायेगा
- 11 स्थापित की जाने वाली आरा मिल के ब्योरे - दो - 1 वॉण्ड साँ 1 ड्रॉली मशीन
क. आरा मशीनों की संख्या
ख. गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा उसकी अश्व - 10 H.P.
ग. कोई अन्य जानकारी
- 12 कोई अन्य क्रियाकलाप जो आरा मिल/आरा गडढा में किये जाने के लिए प्रस्तावित है
- 13 आवेदन फीस के भुगतान एवं साक्ष्य - Rs 1000/- 978227
- 14 प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान का साधन दिनांक 16-2-2023.

- Rs 2000/- 978226
दिनांक - 16-2-2023.

घोषणा

मैं/ हम श्री राम मिश्री एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ
कि मैं/ हमने बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 तथा
उसके अधीन बनाये गये नियमों क उपबंधों को पढ लिया है तथा समझ
लिया है, और मैं/ हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/ हूँ।

तारीख:- 20-3-2023 .

श्री राम मिश्री
आवेदक का हस्ताक्षर

नई आरा मिल/आरा गडढा स्थापित करने तथा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन।

- 1 आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम (कम्पनी के मामले में भागीदार तथा पावर ऑफ एटर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों) के नाम **विजय कुमार शर्मा**
- 2 व्यवसाय **कृषि चिराई-स्वरोच्चारण** पिता: **हरिचरण शर्मा**
- 3 पूरा नाम **श्री विजय सिंह किल्ल**
- 4 आरा मिल/ आरा गडढा की प्रस्तावित स्थिति के ब्योरे (स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जायें) **ग्राम:- मेड़हरिया-इंगलिशा**
- 5 यदि आवेदक पूर्व में ही आरा मिल/आरा गडढे का स्वामित्व रखता हो तथा चला आ रहा हो **स्थान:- पालीगंज, बिहार-पटना**
- 6 यदि भूमि (5) का उत्तर हाँ तो आरा मिल/आरा गडढे के ब्योरे दिजिए।
(क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष
(ख) आरा मशीन का क्रमांक—
(ग) गतिदायी शक्ति (मोटिवफोर्स) तथा उसकी अश्व शक्ति
(घ) मासिक क्षमता
(ङ) कोई अन्य जानकारी
- 7 स्थापित की जाने वाली आरा मिल/ आरा गडढा - 300 घनफुट की मासिक क्षमता (अनुमानित)
- 8 काष्ठ की प्रजातियाँ जिनकी सामान्यतः चिराई की जाती है **भाम, शीशम, महुआ, साल आदि।**
- 9 काष्ठ का श्रोत जहाँ से प्राप्त किया जायेगा **- सरकारी डिपो, ईमतीखी, गीपी रो।**
- 10 कालावधि जिसमें आरा मिल/आरा गडढा स्थापित किया जायेगा
- 11 स्थापित की जाने वाली आरा मिल के ब्योरे
क. आरा मशीनों की संख्या **दो - 1 वैण्डर स्क् 1 डॉल्बी**
ख. गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा उसकी अश्व शक्ति **- 10 एचपी**
ग. कोई अन्य जानकारी
- 12 कोई अन्य क्रियाकलाप जो आरा मिल/आरा गडढा में किये जाने के लिए प्रस्तावित है
- 13 आवेदन फीस के भुगतान एवं साक्ष्य
- 14 प्रतिभुति निक्षेप के भुगतान का साधन

₹. 1000/- डी.डी. नं. 751040

दिनांक 10-02-2023

₹. 2000/- डी.डी. नं. 751041

दिनांक 10-02-2023

घोषणा

मैं/ हम विजय कुमार शर्मा एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ
कि मैं/ हमने बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 तथा
उसके अधीन बनाये गये नियमों क उपबंधों को पढ लिया है तथा समझ
लिया है, और मैं/ हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/ हैं।


विजय कुमार शर्मा

Vijay Kumar Sharma

तारीख:- 20-2-2023.

आवेदक का हस्ताक्षर

19



मसौरहा (पटना) बिहार (2562)
MASAURHA (Patna) Bihar - 801110

केवल तीन माह के लिए वैध
VALID FOR THREE MONTHS ONLY
D D M M Y Y Y Y Y Y

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY

DIVISIONAL FOREST OFFICER PATNA FOREST DIVISION PATNA

या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES

** Two Thousand only**

प्राप्त मूल्य के बदले अदा करें
FOR VALUE RECEIVED

₹

2,000.00

UQT 751041

शाखा क्रमांक Branch Serial No.

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

अदाकर्ता शाखा एवं वि०न० Drawee Branch with D.No.

D.No. 1984 - FINACLE -

RCC PATNA FINACLE

Purchaser: VIJAY KUMAR SHARMA

Draft is signed singly as it is for amount upto Rs. 50,000/-
(NOT OVER Rs. 2000/-)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.एस.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.एस.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.


⑈ 751041 ⑈ 0000 240001⑈

16

NOTECH SECURITY PRINTERS CTS 2010

OT
TT
OL
TL

9
8
7
6
5
4
3
2
1



मसौरहा (पटना) बिहार (2562)
MASAURHA (Patna) Bihar - 801110

केवल तीन माह के लिए वैध
VALID FOR THREE MONTHS ONLY
D D M M Y Y Y Y Y Y

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY

DIVISIONAL FOREST OFFICER PATNA FOREST DIVISION PATNA

या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES

** One Thousand only**

प्राप्त मूल्य के बदले अदा करें
FOR VALUE RECEIVED

₹

1,000.00

UQT 751040

शाखा क्रमांक Branch Serial No.

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

अदाकर्ता शाखा एवं वि०न० Drawee Branch with D.No.

D.No. 1984 - FINACLE -

RCC PATNA FINACLE

Purchaser: VIJAY KUMAR SHARMA

Draft is signed singly as it is for amount upto Rs. 50,000/-
(NOT OVER Rs. 1000/-)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.एस.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.एस.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

⑈ 751040 ⑈ 0000 240001⑈

16

NOTECH SECURITY PRINTERS CTS 2010

OT
TT
OL
TL

9
8
7
6
5
4
3
2
1

नई आरा मिल/आरा गडढा स्थापित करने तथा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन।

1. आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम (कम्पनी के मामले में भागीदार तथा पावर ऑफ एटर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों) के नाम सुश्री शर्मा
पिता- स्व. रामेश्वर शर्मा
2. व्यवसाय- लष्ठी चिराई एवं स्वरीक-वित्री प्रेमेश्वर के साँ जिल
3. पूरा नाम ब्रज- हातिमगंज थाना
4. आरा मिल/ आरा गडढा की प्रस्तावित स्थिति के ब्योरे (स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जाये) स्थान- पिता- भोवपुर।
5. यदि आवेदक पूर्व में ही आरा मिल/आरा गडढे का स्वामित्व रखता हो तथा चला आ रहा हो नहीं
6. यदि भूमि (5) का उत्तर हाँ तो आरा मिल/आरा गडढे के ब्योरे दिजिए।
(क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष
(ख) आरा मशीन का क्रमांक-
(ग) गतिदायी शक्ति (मोटिवफोर्स) तथा उसकी अश्व शक्ति
(घ) मासिक क्षमता
(ङ) कोई अन्य जानकारी
7. स्थापित की जाने वाली आरा मिल/ आरा गडढा - 300 प्यनफुट की मासिक क्षमता (अनुमानित)
8. काष्ठ की प्रजातियाँ जिनकी सामान्यतः चिराई की जाती है- भाज, शीशम, कहुमा साँल, साँल।
9. काष्ठ का श्रोत जहाँ से प्राप्त किया जायेगा- सुश्री शर्मा, शंभरी एवं टी.पी. से।
10. कालावधि जिसमें आरा मिल/आरा गडढा स्थापित किया जायेगा
11. स्थापित की जाने वाली आरा मिल के ब्योरे
क. आरा मशीनों की संख्या - दो - 1 बैज साँ एवं 1 ट्रांकी
ख. गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा उसकी अश्व - 10 H.P. 1 ट्रांकी 275।
शक्ति
ग. कोई अन्य जानकारी
12. कोई अन्य क्रियाकलाप जो आरा मिल/आरा गडढा में किये जाने के लिए प्रस्तावित है
13. आवेदन फीस के भुगतान एवं साक्ष्य - र. 1000/- डी.डी. नं. - 045 222
14. प्रतिभुति निक्षेप के भुगतान का साधन - दिनांक - 20-02-2023
- र. 2000/- डी.डी. नं. - 045 221
दिनांक - 20-02-2023.

घोषणा

मैं/ हम सुरेश शर्मा एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ
कि मैं/ हमने बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 तथा
उसके अधीन बनाये गये नियमों क उपबंधों को पढ लिया है तथा समझ
लिया है, और मैं/ हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/ हूँ।

तारीख:- 20-2-2023.

सुरेश शर्मा
आवेदक का हस्ताक्षर

EF4914356321IN



सुरेश शर्मा
आवेदक
र-फैर

TO

42

श्रीमान 9744058
4311001 मंडल
802301

25/02/2023

नई आरा मिल/आरा गडढा स्थापित करने तथा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन।

- 1 आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम (कम्पनी के मामले में भागीदार तथा पावर ऑफ एटर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों) के नाम सुरेन्द्र शर्मा
पिता- स्व. राजेश्वर शर्मा
- 2 व्यवसाय - लकड़ी चिराई एवं मशीन-बिस्त्री. ग्राम- हाटिमगंज
- 3 पूरा नाम धाना- सहर
- 4 आरा मिल/ आरा गडढा की प्रस्तावित स्थिति के ब्यौरे (स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जाये) जिला- मोजपुर
- 5 यदि आवेदक पूर्व में ही आरा मिल/आरा गडढे का- नहीं स्वामित्व रखता हो तथा चला आ रहा हो
- 6 यदि भूमि (5) का उत्तर हाँ तो आरा मिल/आरा गडढे के ब्यौरे दिजिए।
(क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष
(ख) आरा मशीन का क्रमांक-
(ग) गतिदायी शक्ति (मोटिवफोर्स) तथा उसकी अश्व शक्ति
(घ) मासिक क्षमता
(ङ) कोई अन्य जानकारी
- 7 स्थापित की जाने वाली आरा मिल/ आरा गडढा - 300 घनफुट की मासिक क्षमता (अनुमानित)
- 8 काष्ठ की प्रजातियाँ जिनकी सामान्यतः चिराई की- भाग, शीशाज, साल, गहुमा आदि जाती है।
- 9 काष्ठ का श्रोत जहाँ से प्राप्त किया जायेगा - सरकारी डिपो, रैन्गी एवं टी.पी.से।
- 10 कालावधि जिसमें आरा मिल/आरा गडढा स्थापित किया जायेगा
- 11 स्थापित की जाने वाली आरा मिल के ब्यौरे - की- 1 वृण्ड सॉ 2 1 ट्रॉली
क. आरा मशीनों की संख्या
ख. गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा उसकी अश्व - 19 H.P.
शक्ति
ग. कोई अन्य जानकारी
- 12 कोई अन्य क्रियाकलाप जो आरा मिल/आरा गडढा में किये जाने के लिए प्रस्तावित है
- 13 आवेदन फीस के भुगतान एवं साक्ष्य
- 14 प्रतिभुति निक्षेप के भुगतान का साधन

Rs. 1000/- डीडी संख्या 199782

दिनांक - 16-2-2023.

Rs. 2000/- डीडी संख्या 199781

दिनांक 16.2.2023.

23

घोषणा

मैं/ हम सुरेंद्र शर्मा एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ
कि मैं/हमने बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 तथा
उसके अधीन बनाये गये नियमों क उपबंधों को पढ लिया है तथा समझ
लिया है, और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

सुरेंद्र शर्मा

तारीख:- 20.2.2023.

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रारूप- 'क'
(नियम 3(2) देखिये)

94

आरा मिल/आरा गडढा स्थापित करने तथा चलाने के आवेदन।

- आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम (कम्पनी) के मामले में भागीदार तथा पावर ऑफ एटर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों) के नाम
यवसाय - लुइसी चिराई एवं रकरीद्वि
पूरा नाम 1
- आरा मिल/ आरा गडढा की प्रस्तावित स्थिति के व्योरे (स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जाये)
प्रदि आवेदक पूर्व में ही आरा मिल/आरा गडढे का स्वामित्व रखता हो तथा चला आ रहा हो — नही
- 6 यदि भूमि (5) का उत्तर हाँ तो आरा मिल/आरा गडढे के व्योरे दिजिए।
(क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष
(ख) आरा मशीन का क्रमांक—
(ग) गतिदायी शक्ति (मोटिवफोर्स) तथा उसकी अश्व शक्ति
(घ) मासिक क्षमता
(ङ) कोई अन्य जानकारी
- 7 स्थापित की जाने वाली आरा मिल/ आरा गडढा — 300 घनफुट की मासिक क्षमता (अनुमानित)
- 8 काष्ठ की प्रजातियाँ जिनकी सामान्यतः चिराई की जाती है - आम, शीशम, गहुआ, साक, साहि
टीपी, रूयती एवं सरकारी डीपी से।
- 9 काष्ठ का श्रोत जहाँ से प्राप्त किया जायेगा
- 10 कालावधि जिसमें आरा मिल/आरा गडढा स्थापित किया जायेगा
- 11 स्थापित की जाने वाली आरा मिल के व्योरे
क. आरा मशीनों की संख्या - दो - 1 बैण्ड सॉ + 1 ट्रॉली
ख. गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा उसकी अश्व शक्ति - 10 H.P.
ग. कोई अन्य जानकारी
- 12 कोई अन्य क्रियाकलाप जो आरा मिल/आरा गडढा में किये जाने के लिए प्रस्तावित है
- 13 आवेदन फीस के भुगतान एवं साक्ष्य - Rs. 1000/- डी.डी. नं. 163217
दिनांक- 15-2-2023.
- 14 प्रतिभुति निक्षेप के भुगतान का साधन - Rs. 2000/- डी.डी. नं. 163216

शुक्रेश कुमार शर्मा
पिता:- सुरेश शर्मा
मै. शर्मा साँ मिल
गौदना रोड, अनाईद
भारा, थाना- नवाहा
जिल्ला - भोजपुर

घोषणा

मैं/ हम राकेश कुमार शर्मा एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ
कि मैं/ हमने बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 तथा
उसके अधीन बनाये गये नियमों क उपबंधों को पढ लिया है तथा समझ
लिया है, और मैं/ हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/ हैं।

Rakesh Kumar Sharma.

तारीख:- 20-2-2023.

आवेदक का हस्ताक्षर

भारतीय डाक



EF572356/051N 1VR:69/05/2356/051N
SP SPC COUNTER GPO ARRAN (082301)
Counter No:1,24/02/2023,11:41
To:VAN PRAMANDAL AOH(KARI,ARRA
PIN:082301, SPC Counter GPO ARRAN
From:RAKESH KR. SHARMA,ANANTH
Wt:250ms
Amt:17./0(Cash)tax:2./0
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 10002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

आरा मिल/आरा गडढा स्थापित करने तथा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति ~~संजूर करने~~ हेतु आवेदन।

- आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम (कम्पनी के मामले में भागीदार तथा पावर ऑफ एटर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों) के नाम
व्यवसाय - लकड़ी चिराई एवं खरीद-बिक्री
पूरा नाम
आरा मिल/ आरा गडढा की प्रस्तावित स्थिति के ब्योरे (स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जायें)
यदि आवेदक पूर्व में ही आरा मिल/आरा गडढे का स्वामित्व रखता हो तथा चला आ रहा हो
- 6 यदि भूमि (5) का उत्तर हाँ तो आरा मिल/आरा गडढे के ब्योरे दिजिए।
(क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष
(ख) आरा मशीन का क्रमांक-
(ग) गतिदायी शक्ति (मोटिवफोर्स) तथा उसकी अश्व शक्ति
(घ) मासिक क्षमता
(ङ) कोई अन्य जानकारी
- 7 स्थापित की जाने वाली आरा मिल/ आरा गडढा की मासिक क्षमता (अनुमानित) - 300 टन फुट
- 8 काष्ठ की प्रजातियाँ जिनकी सामान्यतः चिराई की जाती है - आब, शीशम, सखुआ, गडुआ, सादि
- 9 काष्ठ का श्रोत जहाँ से प्राप्त किया जायेगा - सरकारी डिपो, रैवती एवं टीन्पी से।
- 10 कालावधि जिसमें आरा मिल/आरा गडढा स्थापित किया जायेगा
- 11 स्थापित की जाने वाली आरा मिल के ब्योरे -
क. आरा मशीनों की संख्या - दो - 1 वैण्डर्स एवं 1 ट्रांली
ख. गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा उसकी अश्व शक्ति - 10 अश्व पीठ
ग. कोई अन्य जानकारी
- 12 कोई अन्य क्रियाकलाप जो आरा मिल/आरा गडढा में किये जाने के लिए प्रस्तावित है
- 13 आवेदन फीस के भुगतान एवं साक्ष्य - र. 1000/- डी.डी. नं. 199783
दिनांक 16-2-2023
- 14 प्रतिभुति निक्षेप के भुगतान का साधन - र. 2000/- डी.डी. नं. 199784
दिनांक 16-2-2023.

हरकेश कुमार शर्मा
पिता - सुरेश शर्मा
मे. एच. के. फर्निचर
ग्राम - सहर थाना - सहर
जिला - भोजपुर।

घोषणा

मैं/ हम हरकेश कुमार शर्मा एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं/ हमने बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को पढ लिया है तथा समझ लिया है, और मैं/ हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/ हूँ।

तारीख:- 20-2-2023.

✓
हरकेश कुमार शर्मा
आवेदक का हस्ताक्षर

भारतीय डाक
India Post
E:572356696IN IVR:6970572356696
SP SPC COUNTER SRO ARRAH (802301)
Counter No:1,24/02/2023,17:41
To:VAN PRAMANDAL ADHIKARI,ARA
Pin:802301, SPC Counter SRO ARRAH
From:HARKESH KR. SHARMA,OHARI
Wt:25gms
Amt:17.70(Cash)fax:2.70
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 1000266600) (Wear Masks, Stay Safe)

नई आरा मिल/आरा गडढा स्थापित करने तथा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन।

1 आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम (कम्पनी) के मामले में भागीदार तथा पावर ऑफ एटर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों) के नाम

2 व्यवसाय - लकड़ी चिराई & स्वरीट-विषी

3 पूरा नाम

4 आरा मिल/ आरा गडढा की प्रस्तावित स्थिति के ब्योरे (स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जायें)

5 यदि आवेदक पूर्व में ही आरा मिल/आरा गडढे का स्वामित्व रखता हो तथा चला आ रहा हो

6 यदि भूमि (5) का उत्तर हाँ तो आरा मिल/आरा गडढे के ब्योरे दिजिए।

(क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष
(ख) आरा मशीन का क्रमांक—
(ग) गतिदायी शक्ति (मोटिवफोर्स) तथा उसकी अश्व शक्ति

(घ) मासिक क्षमता
(ङ) कोई अन्य जानकारी

7 स्थापित की जाने वाली आरा मिल/ आरा गडढा - 300 घनफुट

8 काष्ठ की प्रजातियाँ जिनकी सामान्यतः चिराई की जाती है - भाभ, महुमा, शीशब, सगळ आदि।

9 काष्ठ का श्रोत जहाँ से प्राप्त किया जायेगा - रेवती, टी.पी. एवं सरकारी डीपोस।

10 कालावधि जिसमें आरा मिल/आरा गडढा स्थापित किया जायेगा

11 स्थापित की जाने वाली आरा मिल के ब्योरे
क. आरा मशीनों की संख्या - दो - 1 बेंण्ड रॉ & 1 ड्रॉली मशीन

ख. गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा उसकी अश्व शक्ति - 10 H.P.

ग. कोई अन्य जानकारी

12 कोई अन्य क्रियाकलाप जो आरा मिल/आरा गडढा में किये जाने के लिए प्रस्तावित है

13 आवेदन फीस के भुगतान एवं साक्ष्य

14 प्रतिभुति निक्षेप के भुगतान का साधन

ममता देवी
पति - रामजी मिस्त्री
मैत्री विश्ववर्मा फर्निचर
& सौ मिश्र
ग्राम - कुर्था थाना - कुर्था
जिला - भिवरुल
- नदी

₹. 1000/- D.D.N. 978228
दिनांक 16.2.2023

₹. 2000/- D.D.N. 978229
दिनांक 16.2.2023

घोषणा

मैं/ हम समता देवी एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ
 कि मैं/ हमने बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 तथा
 उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को पढ लिया है तथा समझ
 लिया है, और मैं/ हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/ हूँ।

✓ समता देवी

तारीख:- 20.3.2023 .

आवेदक का हस्ताक्षर

नई आरा मिल/आरा गडढा स्थापित करने तथा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन।

- 1 आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम (कम्पनी के मामले में भागीदार तथा पावर ऑफ एटर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों) के नाम
- 2 व्यवसाय - लुडो चिराई 1 स्त्री - बिब्ली
- 3 पूरा नाम
- 4 आरा मिल/ आरा गडढा की प्रस्तावित स्थिति के ब्योरे (स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जायें)
- 5 यदि आवेदक पूर्व में ही आरा मिल/आरा गडढे का स्वामित्व रखता हो तथा चला आ रहा हो - नहीं
- 6 यदि भूमि (5) का उत्तर हाँ तो आरा मिल/आरा गडढे के ब्योरे दिजिए।
(क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष
(ख) आरा मशीन का क्रमांक-
(ग) गतिदायी शक्ति (मोटिवफोर्स) तथा उसकी अश्व शक्ति
(घ) मासिक क्षमता
(ङ) कोई अन्य जानकारी
- 7 स्थापित की जाने वाली आरा मिल/ आरा गडढा - 300 घनफुट की मासिक क्षमता (अनुमानित)
- 8 काष्ठ की प्रजातियाँ जिनकी सामान्यतः चिराई की जाती है - आम, शीशम, महुआ, साठ भाद
- 9 काष्ठ का श्रोत जहाँ से प्राप्त किया जायेगा - सरकारी डिपो, रैयती 1 टी. पी. से।
- 10 कालावधि जिसमें आरा मिल/आरा गडढा स्थापित किया जायेगा
- 11 स्थापित की जाने वाली आरा मिल के ब्योरे
क. आरा मशीनों की संख्या - दो - 1 बैण्ड यों 2 1 टॉली मशीन
ख. गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा उसकी अश्व शक्ति - 10 H.P.
ग. कोई अन्य जानकारी
- 12 कोई अन्य क्रियाकलाप जो आरा मिल/आरा गडढा में किये जाने के लिए प्रस्तावित है
- 13 आवेदन फीस के भुगतान एवं साक्ष्य
- 14 प्रतिभुति निक्षेप के भुगतान का साधन

- Rs. 1000/- D.D.N. - 109426

दिनांक - 21-3-2023

- Rs. 2000/- D.D.N. - 109425

दिनांक - 21-3-2023

आशा देवी
पति - नरेश कुमार शर्मा
मे. विश्वकर्मा टिम्बर
ग्राम - खटाँगी
थाना - कुर्था प्रखण्ड - पेंशी
जिला - सरखत

घोषणा

मैं/ हम आशा देवी एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ
कि मैं/ हमने बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 तथा
उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को पढ लिया है तथा समझ
लिया है, और मैं/ हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/ हैं।

तारीख:- 23-3-2023

आशा देवी

आवेदक का हस्ताक्षर

नई आरा मिल/आरा गडढा स्थापित करने तथा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन।

- 1 आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम (कम्पनी) के मामले में भागीदार तथा पावर ऑफ एटर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों) के नाम राहुल कुमार
पिता - स्व. उमेश विश्वकर्मा
- 2 व्यवसाय - लकड़ी चिराई एवं खरीद-बिक्री मे. शर्मा फर्निचर & सॉजिल
- 3 पूरा नाम ग्राम - भगवानगंज
- 4 आरा मिल/ आरा गडढा की प्रस्तावित स्थिति के ब्योरे (स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जायें) थाना - भगवानगंज
जिला - पटना
- 5 यदि आवेदक पूर्व में ही आरा मिल/आरा गडढे का स्वामित्व रखता हो तथा चला आ रहा हो - नहीं
- 6 यदि भूमि (5) का उत्तर हाँ तो आरा मिल/आरा गडढे के ब्योरे दिजिए।
(क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष
(ख) आरा मशीन का क्रमांक-
(ग) गतिदायी शक्ति (मोटिवफोर्स) तथा उसकी अश्व शक्ति
(घ) मासिक क्षमता
(ङ) कोई अन्य जानकारी
- 7 स्थापित की जाने वाली आरा मिल/ आरा गडढा - 300 घनफुट की मासिक क्षमता (अनुमानित)
- 8 काष्ठ की प्रजातियाँ जिनकी सामान्यतः चिराई की जा सकती है काष्ठ, शीशम, महुआ, साल आदि
- 9 काष्ठ का श्रोत जहाँ से प्राप्त किया जायेगा - सखरी रिवो, रंगरी एवं टी.पी.से।
- 10 कालावधि जिसमें आरा मिल/आरा गडढा स्थापित किया जायेगा
- 11 स्थापित की जाने वाली आरा मिल के ब्योरे
क. आरा मशीनों की संख्या 1 - 1 बैण्ड सॉ एवं 1 ट्रॉली
ख. गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा उसकी अश्व शक्ति - 10 H.P.
ग. कोई अन्य जानकारी
- 12 कोई अन्य क्रियाकलाप जो आरा मिल/आरा गडढा में किये जाने के लिए प्रस्तावित है
- 13 आवेदन फीस के भुगतान एवं साक्ष्य - Rs. 1000/- डी.डी. नं. 102653
- 14 प्रतिभुति निक्षेप के भुगतान का साधन - फिनांक 18-2-2023

Rs. 2000/- डी.डी. नं. 102660
फिनांक - 18-2-2023

घोषणा

मैं/ हम राहुल कुमार एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं/हमने बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को पढ लिया है तथा समझ लिया है, और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तारीख:- 20-2-2023

राहुल कुमार
आवेदक का हस्ताक्षर

34



कोरैया सुल्तानपुर (पटना) बिहार (1585)
KORAIYA SULTANPUR (Patna) Bihar - 801102

केवल तीन माह के लिए वैध
VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DDMMYY

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY

या उनके आदेश पर OR ORDER

D.F.O PATNA, F.D. PATNA

रुपये RUPEES

** Two Thousand only**

प्राप्त मूल्य के बदले अदा करें
FOR VALUE RECEIVED

₹

2,000.00

ULA 102660

शाखा क्रमांक Branch Serial No.

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

अदाकर्ता शाखा एवं वि०सं० Drawee Branch with D.No.

D.No. 1984 - FINACLE -
RCC PATNA FINACLE

Purchaser: RAHUL KUMAR

Draft is signed singly as it is for amount upto Rs. 50,000/-
(NOT OVER Rs.2000/-)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

Manoj K. Gupta
GBPA 32625

⑈ 10 2660 ⑈ 0000 24000 ⑈

16



कोरैया सुल्तानपुर (पटना) बिहार (1585)
KORAIYA SULTANPUR (Patna) Bihar - 801102

केवल तीन माह के लिए वैध
VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DDMMYY

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY

या उनके आदेश पर OR ORDER

D.F.O. PATNA, F.D. PATNA

रुपये RUPEES

** One Thousand only**

प्राप्त मूल्य के बदले अदा करें
FOR VALUE RECEIVED

₹

1,000.00

ULA 102659

शाखा क्रमांक Branch Serial No.

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

अदाकर्ता शाखा एवं वि०सं० Drawee Branch with D.No.

D.No. 1984 - FINACLE -
RCC PATNA FINACLE

Purchaser: RAHUL KUMAR

Draft is signed singly as it is for amount upto Rs. 50,000/-
(NOT OVER Rs.1000/-)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

Manoj K. Gupta
GBPA 32625

⑈ 10 2659 ⑈ 0000 24000 ⑈

16

नई आरा मिल/आरा गडढा स्थापित करने तथा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन।

- 1 आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम (कम्पनी के मामले में भागीदार तथा पावर ऑफ एटर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों) के नाम
- 2 व्यवसाय - लकड़ी चिराई एवं खरीद-बिक्री
- 3 पूरा नाम
- 4 आरा मिल/ आरा गडढा की प्रस्तावित स्थिति के ब्योरे (स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जाये)
- 5 यदि आवेदक पूर्व में ही आरा मिल/आरा गडढे का स्वामित्व रखता हो तथा चला आ रहा हो - नहीं
- 6 यदि भूमि (5) का उत्तर हाँ तो आरा मिल/आरा गडढे के ब्योरे दिजिए।
(क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष
(ख) आरा मशीन का क्रमांक-
(ग) गतिदायी शक्ति (मोटिवफोर्स) तथा उसकी अश्व शक्ति
(घ) मासिक क्षमता
(ङ) कोई अन्य जानकारी
- 7 स्थापित की जाने वाली आरा मिल/ आरा गडढा - 300 घनफुट की मासिक क्षमता (अनुमानित)
- 8 काष्ठ की प्रजातियाँ जिनकी सामान्यतः चिराई की जाती है - काठ, शीशम, महुआ, साल आदि
- 9 काष्ठ का श्रोत जहाँ से प्राप्त किया जायेगा - सपारी डिको, रेंगरी खडीपीके।
- 10 कालावधि जिसमें आरा मिल/आरा गडढा स्थापित किया जायेगा
- 11 स्थापित की जाने वाली आरा मिल के ब्योरे
क. आरा मशीनों की संख्या - 1 बेंच साँ एवं 1 ट्रॉली
ख. गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा उसकी अश्व शक्ति - 10 H.P.
ग. कोई अन्य जानकारी
- 12 कोई अन्य क्रियाकलाप जो आरा मिल/आरा गडढा में किये जाने के लिए प्रस्तावित है
- 13 आवेदन फीस के भुगतान एवं साक्ष्य - Rs. 1000/- डी.डी. नं. 102653
दिनांक 18-2-2023
- 14 प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान का साधन - Rs. 2000/- डी.डी. नं. 102660
दिनांक - 18-2-2023

राहुल कुमार
पिता - स्व. उमेश विश्वकर्मा
मे. शर्मा फर्निचर & सॉल्यूशंस
ग्राम - भगवानवाँज
थाना - भगवानवाँज
जिला - पटना

घोषणा

मैं/ हम राहुल कुमार एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ
कि मैं/ हमने बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 तथा
उसके अधीन बनाये गये नियमों क उपबंधों को पढ लिया है तथा समझ
लिया है, और मैं/ हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/ हूँ।

तारीख:- 20-2-2023

राहुल कुमार
आवेदक का हस्ताक्षर



कोरैया सुल्तानपुर (पटना) बिहार (1585)
KORAIYA SULTANPUR (Patna) Bihar - 801102

केवल तीन माह के लिए वैध
VALID FOR THREE MONTHS ONLY

D	D	M	M	Y	Y	2	Y	2	Y

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY

D.F.O. PATNA, F.D. PATNA

या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES

** One Thousand only**

प्राप्त मूल्य के बदले अदा करें
FOR VALUE RECEIVED

₹

1,000.00

ULA 102659

शाखा क्रमांक Branch Serial No.

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

अदाकर्ता शाखा एवं वि०स० Drawee Branch with D.No.

D.No. 1984 - PINACLE -
RCC PATNA FINACLE

Purchaser: RAHUL KUMAR

Draft is signed singly as it is for amount upto Rs. 50,000/-
(NOT OVER Rs.1000/-)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

Mand. Mr. Gupta
GBPA 3267


⑈ 10 26 59 ⑈ 0000 240001⑈

16

2
9
8
7
6
5
4
3
2
1

NUTECH SECURITY PRINTERS CTS 2010
रु
प
ये
OT

37



कोरैया सुल्तानपुर (पटना) बिहार (1585)
KORAIYA SULTANPUR (Patna) Bihar - 801102

केवल तीन माह के लिए वैध
VALID FOR THREE MONTHS ONLY
D D M M Y Y Y Y Y Y

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY

या उनके आदेश पर OR ORDER

D.F.O PATNA , F.D. PATNA

रुपये RUPEES

** Two Thousand only**

प्राप्त मूल्य के बदले अदा करें
FOR VALUE RECEIVED

₹

2,000.00

ULA 102660

शाखा क्रमांक Branch Serial No.

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

अदाकर्ता शाखा एवं वि०स० Drawee Branch with D.No.

D.No. 1984 - FINACLE -
RCC PATNA FINACLE

Purchaser: RAHUL KUMAR

Draft is signed singly as it is for amount upto Rs. 2,000,000/-
(NOT OVER Rs.2000/-)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

Manoj Kr. Gupta
GBPA 32625

⑈ 102660 ⑈ 000024000⑈

16

NUTECH SECURITY PRINTERS CTS 2010

रुपये TL
OL
OT

2
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ANNEXURE-2

ITEM NOS. 301 TO 308,
311, 314 to 319 COURT NO. 1 SECTIONS PIL, XIA, IX, XVII, XVIII,
IVA

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

301 : CATEGORY I MATTERS RELATING TO WOOD BASED INDUSTRIES:

I.A.No.2365 in 1406/2005 in Writ Petition(s) (Civil) No(s).
202/1995

T.N. GODAVARMAN THIRUMULPAD Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS Respondent(s)
(for directions)

WITH

I.A. NO. 3630/2013 IN I.A. NOS. 1579-1580 IN W.P.(C) NO.
202/1995

(For appropriate orders/directions)

I.A. NO. 3051-3053/2011, 3423/2012 IN W.P.(C) NO. 202/1995
(For intervention, appropriate orders/directions and
exemption from filing O.T. and permission to file rejoinder)

I.A. NO. 3114-3116/2011 IN W.P.(C) NO. 202/1995
(For impleadment, directions and exemption from filing O.T.)

I.A. NO. 3239-3240/2011 IN W.P.(C) NO. 202/1995
(For impleadment, directions and exemption from filing O.T.)

I.A. NO. 3302-3304/2011 IN W.P.(C) NO. 202/1995
(For impleadment, directions and exemption from filing O.T.)

I.A. NO. 3326-3328/2011, 3831/2014 IN 3326-3328 IN W.P.(C)
NO. 202/1995
(For impleadment, directions and exemption from filing
O.T. and permission to argue in person)

I.A. NO. 3350-3352/2012, 3374-3376/2012, 3377-3379/2012,
3380-3382/2012, 3383-3385/2012, 3386-3388/2012,
3416-3418/2012 with I.A. Nos. 3651-3653/2013 with I.A. Nos.
3549-3551/2013, 3578-3579/2013 in 3550 alongwith I.A. Nos.
3399-3401/2012 with I.A. Nos. 3403-3405/2012,
3338-3340/2012, 3341-3343/2012, 3439-3441/2012 and I.A. Nos.
3738/2014 in 3383-3385, 3739/2014 in 3403-3405, 3741/2014 in
3350-3352, 3742/2014 in 3374-3376, 3743/2014 in 3399-3401,

39

Date : 05/10/2015 These applns. were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN MISHRA
HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

On our request, Shri Harish Salve, the learned amicus curiae has given us a brief note on the matters pending before the Green Bench in different categories. He has also made certain suggestions for early disposal of those matters. He has exchanged the aforesaid note with Shri Ranjit Kumar, the learned Solicitor General of India, who represents the Union of India, Shri K.K. Venugopal, learned senior counsel, who appears for some of the parties.

The learned amicus has classified the matters pending before the Green Bench under different heads such as : i) matters relating to wood based industries, ii) matters relating to National Parks/Wildlife sanctuaries, iii) matters relating to exemptions from the payment of the NPV etc.etc.

We intend to take up the First Category, viz. Matters relating to Wood based industries.

CATEGORY I - MATTERS RELATING TO WOOD BASED INDUSTRIES:

We have heard Shri Harish Salve, learned amicus curiae, Shri Ranjit Kumar, learned Solicitor General of India, Shri K.K. Venugopal, learned senior counsel and other learned senior counsel/counsels. Accordingly, we pass the following orders :

(i) The State Level Committees for Wood-Based Industries ("SLCs") are, subject to the compliance of the prescribed guidelines and procedure, authorized to take decisions regarding the grant of license/permission to the wood-based industries;

(ii) In each State/UT for which the SLC has so far not been constituted, the SLC under the Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests with a representative of the Ministry of Environment and Forest and Climate Change ("MoEFCC") and an officer of the State Forest Department/Industries Department not below the rank

41

of the Chief Conservator of Forests/ equivalent rank will immediately be constituted;

(iii) The MoEF is authorized to issue appropriate guidelines in conformation with the orders and directions issued by this Court and also the existing guidelines to the SLCs relating to assessment of timber availability for wood-based industries and grant of license/permission to the wood-based industries including addition of new machineries and also utilization of amounts recovered from the wood-based industries and connected matters;

(iv) Any person aggrieved by the decision taken by the SLC may file an appeal before the MoEFCC seeking appropriate relief within 60 days' time. If, for any reason, any person is aggrieved by the orders so passed in the appeal, he may prefer an appropriate petition/application/appeal before the appropriate forum/Court for grant of appropriate relief(s).

We also permit the MoEFCC to condone the delay, if any, in filing an appeal, if sufficient cause is made out by the applicant(s)/appellant(s).

42

The amounts lying with the respective State Forest Departments (recovered from wood based industries) will be utilized for the purpose of afforestation only.

The respective State Forest Departments will intimate the amount(s) spent by them for afforestation purpose to MoEFCC at the earliest.

With the aforesaid observations and directions, we dispose of the Interlocutory Applications/matters specified in Annexure-I to the note supplied by Shri Harish Salve, learned *amicus curiae*.

II. MATTERS RELATING TO NATIONAL PARKS AND WILDLIFE SANCTUARIES:

Now we come to matters relating to National Parks and Wildlife Sanctuaries.

At the time of hearing on the aforesaid subject, certain suggestions are made by the learned *amicus curiae* and other senior counsels. By incorporating them, we pass the following order(s):

All matters for grant of permissions for implementation of projects in areas falling in National parks/sanctuaries, including rationalization of boundaries etc. will be considered by the Standing Committee of the National Board for Wildlife ("NBWL") on its own merits and in conformity with the orders and directions passed by this Court from time to time, i.e. on 14.02.2000, 16.12.2002, 13.11.2000, 9.5.2002, 25.11.2005 and 14.09.2007 and other subsequent clarificatory orders/judgment(s) passed by this Court including the Goa Foundation Judgment, i.e. Goa Foundation Vs. Union of India & Ors., reported in (2014) 6 SCC 590.

We request the NBWL to furnish a copy of the orders passed by it within 30 days' time to the C.E.C. The C.E.C. is at liberty, if, for any reason, they are aggrieved by the decision of the Standing Committee of NBWL to approach this Court by filing an appropriate petition/application.

In all those matters where there is already decision of the Standing Committee of the NBWL shall abide the parties with all the conditions imposed therein.

If any party is aggrieved by the decision of the Standing Committee of the NBWL, they are at liberty to approach an appropriate forum for appropriate relief(s).

De-link I.A.Nos. 2202-2203/2008, 2915-2917/2010, 2929-2931 in 2202-2203/2008, 3308-3310/2011 in 2202-2203, 3422/2012 in 2929-2931 in W.P. (C) No. 202/1995 and list separately.

With the aforesaid observations and directions, we dispose of the Interlocutory Applications/matters specified in Annexure-II to the note supplied by Shri Harish Salve, learned *amicus curiae*.

De-link I.A.NO. 3819-3822/2014 In W.P. (C) NO. 202/1995 and list separately.

CATEGORY-III : MATTERS RELATING TO EXEMPTIONS FROM THE PAYMENT OF THE NPV:

Various applications have been filed by different applicants to exempt them from payment of Net Present Value ('NPV'). Now all those applications will be transferred to MoEFCC by the

45

Registry within 45 days' time from today. The MoEFCC will consider those applications in accordance with law as expeditiously as possible.

If, for any reason, any person is aggrieved by the said decision, he shall be free to file an appropriate application/ petition before the National Green Tribunal ('NGT') within 60 days' time from the date of the order passed by the MoEFCC.

Liberty is reserved to NGT to condone the delay, if any, in approaching it within the time granted by us if a satisfactory explanation is offered by the applicant/petitioner.

With the aforesaid observations and directions, we dispose of the Interlocutory Applications/matters specified in Annexure-III to the note supplied by Shri Harish Salve, learned *amicus curiae*.

I.A.Nos.3910, 3911 of 2015 in I.A.No.3806/2014 in I.A.No.3610/2013 in W.P. (C)No.202/1995:

Taken on board.

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

बिहार काष्ठ आधारित उद्योग के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक-21.07.2020 को आयोजित बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :-

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 1. श्री ए०के० पाण्डेय, भा०व०से०
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
बिहारी, पटना। | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री भारत ज्योति, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (रॉंची) | - | सदस्य
(उपस्थित Online) |
| 3. श्री अनिल कुमार प्रसाद, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार,
बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 4. निदेशक / अपर निदेशक,
उद्योग विभाग, बिहार। | - | सदस्य
(अनुपस्थित) |
| 5. श्री संजय कुमार सिन्हा, भा०व०से०
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम, पटना। | - | सदस्य |
| 6. श्री ए०के० द्विवेदी, भा०व०से०,
वन संरक्षक (मुख्यालय)। | - | सदस्य सचिव |

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवं सदस्य सचिव से बैठक की कार्यवाही आरंभ करने का अनुरोध किया गया। सदस्य सचिव द्वारा समिति को बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP (c) सं० 202/95 में दिनांक-05.10.2020 को पारित आदेश के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना एवं उनके विनियमन हेतु "काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) दिशा निर्देश 2016" प्रकाशित किया गया है, जिसमें वर्ष 2017 में संशोधन किया गया है। दिनांक-11.09.2017 को जारी संशोधन से दिशा निर्देश के कडिका 4 में संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय समिति को शक्तियाँ और कार्य आवंटित किए गए हैं जिनके तहत राज्य स्तरीय समिति :-

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

- I. जैसे और जब यह विनिश्चय करें, मांग और पूर्ति के संबंध में समुचित अध्ययन के द्वारा राज्य में काष्ठ की उपलब्धता का निर्धारण करेगी। एस0एल0सी0 ऐसे तरीके से जो क्षेत्र के वनों प्रतिकूलतः प्रभावित न करे, काष्ठ के वहनीय उपयोग के लिए समुचित क्षेत्र की प्रकल्पना करेगी।
 - II. यदि एस0एल0सी0 का यह समाधान हो जाता है कि उक्त नए काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए विधिक रूप से काष्ठ उपलब्ध है (जैसे वन, वनों इत्यादि के बाहर वृक्ष) तो वह ऐसे काष्ठ आधारित उद्योग के नामों को अनुमोदन करेगी, जिन पर नया लाइसेंस दिये जाने या विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता को बढ़ाये जाने के लिए विचार किया जा सकता है।
2. दिनांक-26.04.2017 को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में राज्य में काष्ठ आधारित इकाइयों हेतु कच्चे माल (Raw materials) की उपलब्धता का आकलन तथा विभिन्न श्रेणियों में काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या के गणना हेतु एक उप समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालयादेश सं0 100 दिनांक-20.07.2017 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था। उप समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। (अनुलग्नक-1) जिस पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस बैठक में निर्णय लिया जाना है।
 3. उप समिति ने पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 765 दिनांक-04.1.2003 से राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की अनुमान्य संख्या निर्धारण हेतु, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति के दिनांक-25.08.2004 तथा 31.07.2006 को समर्पित प्रतिवेदन का पुनरावलोकन किया है तथा पाया कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के प्रतिवेदन के आधार पर गैर-वन क्षेत्रों से उपलब्ध काष्ठ, ताड़ वृक्षों से प्राप्त काष्ठ तथा राज्य से बाहर तथा विदेश से आयातित काष्ठ के आधार पर पूर्व में आरा मिलों एवं विनियर मिलों की संख्या का निर्धारण निम्नवत् किया गया था:-

क्रम सं0	स्रोत	वार्षिक चिराई क्षमता	काष्ठ की उपलब्धता (घनमीटर में)	संचालित होने वाली इकाइयों
1.	2.	3.	4.	5.
1.	वार्षिक प्रकाष्ठ उपलब्धता (घनमीटर में)	300	5,18,997	1729
2.	ताड़ वृक्षों से प्रतिवर्ष आरा मिलों के लिए उपलब्ध प्रकाष्ठ	1000	82,404	82
3.	आयातित प्रकाष्ठ की उपलब्धता (घनमीटर में)	300	9,000	30
4.	सिर्फ विदेशी प्रकाष्ठ पर आधारित आरा मिलों के लिए विशेष प्रावधान	300	23,524	78
योग -			6,33,925	1919
5.	विनियर मिलों के लिए काष्ठ की उपलब्धता	1500	2,66,560	177

बाद में विशेषज्ञ समिति के उक्त प्रतिवेदन पर केन्द्रीय प्राधिकृत समिति, नई दिल्ली तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की सहमति उपरांत पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2675 दिनांक-30.08.2010 से राज्य से आरा मिलों की संख्या 1919 तथा विनियर मिलों की संख्या 177 निर्धारित

dx [Signature] dx [Signature] [Signature]

की गयी। आरा मिलों की इस संख्या को जिलावार निर्धारित किया गया, परन्तु विनियर मिलों की संख्या राज्य स्तर पर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP (c) सं0 202/95 में प्रत्येक राज्यों को अपना राज्य में उपलब्ध हो रहे काष्ठ का आकलन करने तथा इसके आधार पर काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या का निर्धारण करने हेतु पारित आदेशों को ध्यान में रखकर भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा सभी राज्य में लिए वर्ष 2011 में Annual Production of Timber from outside Forest area की गणना की गई। उप समिति द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून के India State Forest Report 2017 तथा India State of Forest Report 2019 के आधार पर बिहार के गैर वन भूमि के Growing Stock तथा Annual Potential Production from TOF की गणना की गई है। इसके अतिरिक्त उप समिति द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर राज्य से बाहर से तथा विदेश से आयातित काष्ठ का आकलन किया गया है। इस प्रकार उप समिति द्वारा प्रतिवर्ष काष्ठ उद्योगों को उपलब्ध हो रहे काष्ठ की मात्रा का आकलन निम्नवत् किया गया है:-

(i) राज्य में गैर वन भूमि से उपलब्ध काष्ठ की मात्रा	-	20.95 लाख घनमीटर
(ii) अन्य राज्यों से आयातित काष्ठ की मात्रा	-	00.773 लाख घनमीटर
(iii) विदेश से आयातित काष्ठ की मात्रा	-	00.101 लाख घनमीटर
कुल उपलब्ध काष्ठ की मात्रा	-	21.824 लाख घनमीटर

5. विगत वर्षों में राज्य में बड़े पैमाने पर पाप्लर/अन्य प्रजाति के वृक्ष लगाये जाने के कारण काष्ठ उपलब्धता (TOF) में बढ़ोत्तरी हुई है। उप समिति ने प्रकाष्ठ उपलब्धता के आधार पर राज्य स्तर पर 3400 आरा मिलों तथा 450 Composite units की संख्या निर्धारित करने की अनुशंसा की है। उनके द्वारा इस संदर्भ में की गई गणना निम्नवत् है:-

विभिन्न श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग	वार्षिक चिरान क्षमता (घनमीटर में)	वार्षिक खपत (घनमीटर में)	काष्ठ आधारित उद्योग की संख्या
1	2	3	4
आरा मिल	300	1020000	3400
COMPOSITE UNITS (Vineer + Saw Mill + Plywood Pasting)	2000	900000	450

सभी स्रोतों से उपलब्ध काष्ठ	-	2182400 घनमीटर
काष्ठ आधारित उद्योगों की खपत	-	1920000 घनमीटर
काष्ठ के उद्योग में औसत क्षति	-	192000 घनमीटर
काष्ठ की कुल खपत	-	2112000 घनमीटर

उप समिति का प्रस्ताव है कि उनके द्वारा की गई गणना की मान्यता 5 वर्षों के लिए होगी चाहिए तथा उक्त अवधि के पश्चात् पुनः पुनरीक्षण किया जा सकता है।

उप समिति के प्रतिवेदन को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा गया एवं इस पर विचार किया गया।


6. श्री भारत ज्योति, भा0व0से0, सदस्य के द्वारा Online पर सरकार के संकल्प सं0 765 दिनांक-14.11.2003 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन का प्रसंग किया गया, जिसके द्वारा आरा मिलों के लिए उपलब्ध कुल प्रकाष्ठ में दस प्रतिशत इस आधार पर घटा लिया था कि Rural non


Forest area में वैसे भूमि भी उपलब्ध है जो सामुदायिक या सरकारी या संस्थागत या वृक्षप्रेमी निज व्यक्ति के हैं तथा जिनपर उपलब्ध वृक्षों को नियमित / सामान्य तौर पर प्रकाष्ठ के लिए नहीं काटा जाता है। शेष प्रकाष्ठ की मात्रा में से पाँच प्रतिशत मात्रा स्थानीय रूप से Crude fashioning द्वारा (बिना आरा मिल में चिराई कराये) उपयोग के लिए कर्णांकित किया गया था। उक्त पूर्व के निर्णय से सहमत होते हुए SLC के द्वारा राज्य में प्रतिवर्ष काष्ठ उद्योगों को उपलब्ध हो रहे काष्ठ की मात्रा का आकलन तथा काष्ठ उद्योगों की गणना निम्नवत् किया जाता है:-

- I. कुल उपलब्ध काष्ठ की मात्रा - 2182400 घनमीटर
 - II. संरक्षित वृक्षों के दस प्रतिशत काष्ठ की मात्रा घटाने पर शेष - 1964160 घनमीटर बचे काष्ठ की मात्रा
 - III. बिना आरा मिल में चिराई के पाँच प्रतिशत काष्ठ की मात्रा - 1865952 घनमीटर घटाने पर शेष बचे काष्ठ की मात्रा
 - IV. आरा मिलों / Composite units के लिए कुल उपलब्ध काष्ठ की मात्रा - 1865952 घनमीटर
 - V. 450 Composite units के लिए उपलब्ध काष्ठ की मात्रा - 900000 घनमीटर
 - VI. आरा मिलों के लिए उपलब्ध काष्ठ की मात्रा - 965952 घनमीटर
 - VII. आरा मिलों की वार्षिक चिरान क्षमता 300 घनमीटर के आधार पर उनकी संख्या - 3219 अर्थात् 3200
7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्लू0पी0 (सी0) संख्या 202/95 में दिनांक-12.12.1996 को पारित आदेश का प्रसंग करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के पत्रांक-90 दिनांक-04.01.1997 तथा 1663 दिनांक-11.04.1997 से नये अनुज्ञप्ति जारी करने पर रोक लगाया था। इस आलोक में दिनांक-12.12.1996 के उपरांत निर्गत नये अनुज्ञप्तियों में से अनेक अनुज्ञप्तियों को रद्द कर दिया गया था। पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-343 दिनांक-28.10.2000 तथा संकल्प सं0 418 दिनांक-08.07.2002 तथा 760 दिनांक-13.11.2003 से राज्य / जिलावार आरा मिलों की संख्या का निर्धारण किया गया था तथा अधिशेष आरा मिलों के अनुज्ञप्ति को रद्द करने का निदेश दिया गया था। इस आलोक में अनेक आरा मिलों के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार द्वारा दिनांक-12.12.1996 के उपरांत नये अनुज्ञप्ति पर लगाये गये रोक के कारण अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त अनेक आवेदनों पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सका। सरकार के संकल्प सं0 418 दिनांक-08.07.2002 से जिला / प्रखंड जिनमें आरा मिलों की संख्या निर्धारित संख्या से कम है उन स्थानों पर नये अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान किया गया था। इस आलोक में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त किए गए थे। परंतु मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रहने के कारण अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं किया जा सका।
8. उप समिति के द्वारा राज्य में काष्ठ की उपलब्धता की गणना उपलब्ध अभिलेखों तथा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान के प्रतिवेदनों के आधार पर किया गया है। इस कार्यवाही की कंडिका 6 में किए गए गणना अनुसार राज्य स्तर पर आरा मिलों की संख्या 3200 तथा Composite Units 450 किये जाने पर समिति अपनी सहमति निम्न शर्तों पर देती है:-


- I. आरा मिलों तथा Composite Units के संख्या का निर्धारण जिला स्तर के स्थान पर राज्य स्तर पर की जानी चाहिए।
- II. संख्याओं के विरुद्ध नये अनुज्ञप्ति प्रदान करने में इस कार्यवाही के कंडिका 7 में वर्णित काष्ठ आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार, यदि किसी क्षेत्र विशेष में, काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।
- III. इस कार्यवाही में दिए गए प्रस्ताव की मान्यता 5 वर्षों के लिए होनी चाहिए।

उपर्युक्त निर्णय से सरकार को अवगत कराने का निर्णय लेते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।



(ए०के० दिवेदी)
वन संरक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना


(संजय कुमार सिन्हा)
प्रबंधन निदेशक,
बिहार राज्य वन विकास निगम,
पटना

(अनुपस्थित)
निदेशक / अपर निदेशक
उद्योग विभाग,
बिहार सरकार


(ए०के० प्रसाद)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार,
बिहार, पटना


(सहमति Online)
श्री भारत ज्योति, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (रॉची)


(ए० के० प्रसाद)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 1404

दिनांक- 22/07/2020

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
बिहार

STAN
20.0



IN THE HIGH COURT
AT PATNA

VAKALATNAMA FOR

3A

No. 399 Of 2022

Ram Chahal Rai
Versus

Appellant
Petitioner

M. Sanket at Patna

Respondent
Opposite Party

- 14) अशोक मिश्रा
- 15) रामजी शर्मा
- 16) राजकीशोर मिश्रा
- 18) विजय कुमार शर्मा

Know all men by those Presents by this Vakalatnama I/We

The full address & name of the Respondent N. 7 to 23 be treated as stated in the party position of this P.A. Application.

Do here by
Appoint the advocates noted below in the margin or any of them as my/our lawful Advocate in the above mentioned case for appearing, conducting and arguing the same or depositing or withdrawing any money in connection there with or putting in paper petition, etc. on my/our behalf or filling or taking back any document or with drawing suit, appeal, petition or application with permission to institute fresh suit etc and make compromise and for referring the case for arbitration/conciliation and for doing all acts that be necessary to be done in connection with said acts. I/we, further say that any act done by my/ our said Advocates aor any one of them after accepting this Vakalatnama shall be considered of my/our true and lawful act and shall be binding on me/us.

- Mr. Mrigank-Mauli, (Advocate)
- Mr. Vinay Mistry, (Advocate)
- Mr. Prince-Kumar-Mishra, (Advocate)
- Mr. Sanket, (Advocate)

- 11) विनाय मिश्रा
- 15) रुद्रेश मिश्रा
- 13) प्रमोद मिश्रा
- 12) सुधा मिश्रा

To the above effect I/We execute this Vakalatnama
Dated 29 of 6 2023

360

Received the Vakalatnama through the Pairwikar /
executant and accepted the same

Date:

29.4.2023

Mrigank Mauli

Advocate

A.O.R. No. - 00812

Patna High Court

Residence / Office :

20 I.A.S. Colony, Kidwaipuri, Patna-1

Mobile : 9431022724, 9934002289

Vinay Mistry

Vinay Mistry

Advocate

A.O.R. No. - 00798

Patna High Court

Residence / Office :

20 I.A.S. Colony, Kidwaipuri, Patna-1

Mobile : 8987041352

Prince Kumar Mishra

Advocate

A.O.R. No. - 07261

Patna High Court

Residence / Office :

20 I.A.S. Colony, Kidwaipuri, Patna-1

Mobile : 7766831057

Sanket

Advocate

A.O.R. No. - 7336

Patna High Court

Residence / Office :

20 I.A.S. Colony, Kidwaipuri, Patna-1

Mobile : 9693570455

361
STAMP
20.00

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT PATNA

7216 VAKALATNAMA FOR

No. 399 Of 2022 2022

Dorm Ekbal Rai

Versus

San M. S. S. S.

Appellant

Petitioner

Respondent

Opposite Party

Know all men by those Presents by this Vakalatnama
I/We

16) श्रीवत्सल कुमार
19) सुनील कुमार
21) श्रीवत्सल कुमार
20) सुनील कुमार

Do here by
Appoint the advocates noted below in the margin or any of
them as my/our lawful Advocate in the above mentioned case
for appearing, conducting and arguing the same or
depositing or withdrawing any money in connection there
with or putting in paper petition, etc. on my/our behalf or fill-
ing or taking back any document or with drawing suit, appeal,
petition or application with permission to institute fresh suit
etc and make compromise and for referring the case for
arbitration/conciliation and for doing all acts that be
necessary to be done in connec- tion with said acts. I/we,
further say that any act done by my/ our said Advocates aor
any one of them after accepting this Vakalatnama shall be
considered of my/our true and lawful act and shall be binding
on me/us.

- Mr. Mrigank-Mauli, (Advocate)
- Mr. Vinay Mistry, (Advocate)
- Mr. Princee Kumar Mishra, (Advocate)
- Mr. Sanket, (Advocate)

To the above effect I/We execute this Vakalatnama

Dated 29 of 4 2023

17) संजय मिश्रा
10) वासुदेव मिश्रा
11) रवींद्र मिश्रा
23) राजेश कुमार

Received the Vakalatnama through the Pairwikar /
executant and accepted the same

Date: 29-4-2023

Mrigank Mauli

Advocate

A.O.R. No. - 00812

Patna High Court

Residence / Office :

20 I.A.S. Colony, Kidwaipuri, Patna-1

Mobile : 9431022724, 9934002289

Vinay Mistry

Advocate

A.O.R. No. - 00798

Patna High Court

Residence / Office :

20 I.A.S. Colony, Kidwaipuri, Patna-1

Mobile : 8987041352

Prince Kumar Mishra

Advocate

A.O.R. No. - 07261

Patna High Court

Residence / Office :

20 I.A.S. Colony, Kidwaipuri, Patna-1

Mobile : 7766831057

Sanket

Advocate

A.O.R. No. - 7336

Patna High Court

Residence / Office :

20 I.A.S. Colony, Kidwaipuri, Patna-1

Mobile : 9693570455